R. M. M. Law College
SAHARSA

(1) Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Law Teacher
Sub— Evidence

न्यायालय

इस अधि के अन्तर्गत सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट एवं सभी व्यक्ति जिनको वैधानिक रूप से साक्ष्य लेने का अधिकार प्राप्त है, मध्यस्थ (Arbitrator) साक्ष्य ले सकते हैं।

कुछ ऐसे अधिनियम हैं जो विशिष्ट या अधिकारी को साक्ष्य लेने का अधिकार प्रदान करते हैं अतः वे साक्ष्य लेते हैं तो न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लोक सेवक जांच अधिनियम (public servants enquiry Act) के अधीन नियुक्त कमिश्नर जांच के दौरान साक्ष्य लेता है तो वह न्यायालय की परिभाषा के अनुसार न्यायालय माना जायेगा है, उसको साक्ष्य नियमों के अनुसार ही करना सकता है।

मध्यस्थ का निर्णय (Arbitration) न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों की यह अधिनियम लागू नहीं होता है।
इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunal) के समक्ष कार्यवाहियों में इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उक्त न्यायालय भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of natural justice) का उल्लंघन नहीं कर सकता है।

Scanned with CamScanner

अधिनियम निम्नलिखित ढंगों को मान्यता प्रदान करता है —

(1) दस्तावेज पर लेखन करने वाले को साक्ष्य हस्ताक्षर लिखने वाले के साक्ष्य से।

(2) ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य और जानकारी लिखी गई हो, जिसपर उसने अपना हस्ताक्षर किया हो।

(3) हस्तलेख के विशेषज्ञ द्वारा दी उसके साक्ष्य देने पर

(4) ऐसे व्यक्ति जो दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया हो और उसका पहचान किया गया कि सही है।

(5) हस्ताक्षर करने वाले की स्वीकृति साक्ष्य में माना जायेगा।

(6) हस्ताक्षर करने वालों का साबित करने पर भी कि उसी उक्त दस्तावेज को कहने पर लिखी गयी है कि सभी बातें ... सत्य है।